



CIN:U31200UP2003SGC027458

पत्रांक :- ७२१ / वि०न०वि०म०-द्वि० / गा०बाद /

दिनांक :- १२/०६/२०२४

प्रेषक :-

अधीक्षण अभियन्ता,  
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०,  
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय,  
इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

सेवा में,  
विज्ञापन व्यवस्थापक  
वीर अर्जुन,  
दिल्ली संस्करण।

सेवा में,  
विज्ञापन व्यवस्थापक  
हिन्द आत्मा,  
गाजियाबाद (उ०प्र०)।

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 14.06.2024 तक के अंक मे कम से कम स्थान में हिन्दी समाचार पत्रों के लिये 8-10 प्वाईन्ट में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिये 6-8 प्वाईन्ट में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम रथान में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हैंडिंग के नीचे के नाम व पता यथा सम्भव एक लाईन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम रथान में प्रकाशित करें। विज्ञापन में शीर्ष पर निगम का मोनोग्राम एवं सबसे नीचे इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक भी सबसे छोटे पठनीय टाईप में अवश्यक प्रकाशित करें।

1. वग्रीकृत विज्ञापन दो कॉलम में (चौड़ाई 8 सेमी०) अथवा निविदा शुद्धिकरण/वैधानिक सूचनाओं को 1 कॉलम (चौड़ाई 4 सेमी०) में प्रकाशित करें, निगम का नाम “पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०” 14 फोन्ट साईज B/W पटटी तथा बोल्ड शब्दो (चौड़ाई 1 सेमी०) में प्रकाशित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क बीजक तीन प्रतियो में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतिया संलग्न करते हुये भुगतान हेतु प्रबन्धक निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा।
3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में हिन्दी भाषा में ही किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के लिये संलग्न अंग्रेजी भाषा पत्र की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिये समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की कटिंग अद्योहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. टेन्डर/सूचना इत्यादि उपरोक्त निर्धारित तिथि के बाद निगम की पूर्वानुमति के बिना कदापि प्रकाशित ने करें।
6. यदि आपकी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन डी०ए०वी०पी० निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकार न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
7. विज्ञापन के अन्त में सबसे छोटे साईज में विद्युत हैल्पलाईन 1800-180-3002 (मेरठ) 1800-180-8752 (लखनऊ) तथा “राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाये” का नारा अवश्य प्रकाशित करें।
8. उक्त निर्देशो के विपरीत तथा गलत अथवा भद्रदे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका अथवा निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक:- (एक प्रति) प्रथम प्रति/द्वितीय प्रति।

अधीक्षण अभियन्ता

विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय,  
गाजियाबाद।

पत्रांक : ९२। / वि०न०वि०मं०-द्वि०/गा०बा० दिनांक: १२/०६/२०२४

प्रतिलिपि निविदा सूचना की प्रति के साथ निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता (वितरण), प०वि०वि०नि०लि०, गाजियाबाद वितरण क्षेत्र-तृतीय, गाजियाबाद।
2. उपमुख्य लेखाधिकारी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (लि०), ए-ब्लॉक, हाईडिल कालोनी, कविनगर, गाजियाबाद।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (लि०), विकटोरिया पार्क, मेरठ।
4. लेखाकार, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, गाजियाबाद।
5. सूचना पटल।

अधीक्षण अभियन्ता  
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय,  
गाजियाबाद।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०

ई-निविदा सूचना

ई-निविदा सं०-१० एवं ११/२०२४-२५/मं०-२/गा०बाद :- वि०न०वि०खं०-षष्ठम, गा०बाद के कार्यक्षेत्र में समस्त ३३/११ के०वी० उपकेन्द्रों की वी०सी०बी० मेन्टीनेन्स आदि का कार्य एवं परीक्षण खण्ड-द्वितीय, गा०बाद में ३३ के०वी० ०५ नग रिले आपूर्ति कराने हेतु उक्त ई-निविदाएँ वैब पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर देखी जा सकती है, जिनके भरने की अन्तिम तिथि/समय ०५.०७.२०२४ दोपहर १२:०० बजे एवं खुलने की तिथि/समय ०५.०७.२०२४ सांध्य १६:०० बजे से। निविदा में किसी भी शुद्धिकरण के लिए उपरोक्त वेबसाईट देखें।

पत्रांक :- ९२।

दिनांक :- १२/०६/२०२४

A2